न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 29/22 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2022/101

अनवान्

1. श्री रोशनलाल पिता भेरा भील निवासी खाम की मादडी राती तलाई तहसील मावली।

.............प्रार्थी

बनाम

1. श्री भेरा पिता मगना भील निवासी खाम की मादडी राती तलाई तहसील मावली।
2. उप पंजीयक साहब मावली तहसील मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये भू स्वामी तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री जयेश कुमार जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 27.03.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के बाप दादाओ की पैतृक भूमि मौजा खाम की मादडी तहसील मावली के परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर 1340, 1357, 1382, 1391, 1392, 1393, 1449, 1477, 1546, 2224/1356, 2273/1432, 2370/1574 किता 12 कुल रकबा 1.2140 हेक्टेयर भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी के पिता के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। उक्त आराजीयात पैतृक भूमि होने से प्रार्थी का भी उक्त आराजीयात में प्रार्थी विपक्षीगण का समान रूप से 1/5 हक हिस्सा हैं। परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 1470, 1496, 1523, 1524, 1526, 1527, 1529, 1532, 1535, 1536, 1559 किता 12 कुल रकबा 1.6350 हेक्टेयर आराजीयात संयुक्त खातेदारी हक से वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी के पिता के नाम राजस्व रेकार्ड में 1/18 हिस्सा दर्ज हैं। उक्त आराजीयात प्रार्थी की पैतृक भूमि होने से प्रार्थी का भी उक्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 के हिस्से में प्रार्थी विपक्षीगण का समान रूप से 1/90 हक हिस्सा हैं। परिशिष्ट क व ख में वर्णित आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 को जरिये विरासत प्राप्त होने व प्रार्थी की पैतृक भूमि होने से प्रार्थी अपने हक हिस्से को अपने नाम दर्ज करवाने की [illegible] करवाने व उस पर निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:59:52 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि उक्त भूमि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2 से 4 की मौरूसी कृषि भूमि है और जिसमें सभी पक्षकारो को जन्म से हक अधिकार है और उसी हक से सभी पक्षकार अपने हक हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है प्रार्थी व विपक्षीगण का सजरा निम्न है :–

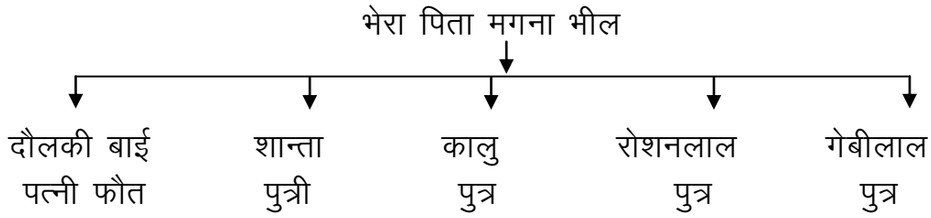

3. यह कि उक्त भूमि पूर्व में मूल पुरूष श्री मगना जी के नाम की थी जिनकी मृत्यु पश्चात् उक्त भूमि उनके पुत्र ओर मेरे पिता श्री भेरा जी के नाम राजस्व रेकार्ड में जरिये विरासत दर्ज हुई और वर्तमान में परिशिष्ट क व ख में उनके नाम पर दर्ज है और प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 से 4 उनके पुत्र पुत्री है और प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2 से 4 भेरा जी के पुत्र पुत्री होने से उक्त पैतृक सम्पति में प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2 से 4 को जन्म से स्वत्व, हक, अधिकार प्राप्त है और वे उसी हक अधिकार से उक्त भूमि को अपने नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने एवं निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है और प्रार्थी उसी हक अधिकार से उक्त प्रार्थना पत्र आप श्रीमान के समक्ष पेश कर रहा हैं। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी व विपक्षीगण के संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी की भूमि है और उसके प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा आधिपत्य है और विपक्षी संख्या 1 जो कि प्रार्थी का पिता है प्रार्थी को उसके हक हिस्से से महरूम रखने के आशय से राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि उसके अकेले के नाम पर दर्ज होने के कारण वह उक्त भूमि को किसी अजनबी को विक्रय करने पर आतुर है, जिसे रोकने के लिए जिससे प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो जाने के कारण उक्त प्रार्थना आप न्यायालय में अविलम्ब पेश कर रहा हैं।

4. यह कि उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी व विपक्षीगण के संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य व कब्जे की है और प्रत्येक का उसमें बराबर हक हिस्सा स्थित है और उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के अकेले नाम पर होने के कारण वे उक्त कृषि भूमि को अपने मन मकसूद तरीके से विक्रय करने पर आमादा है जबकि उक्त भूमि में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 से 4 का जन्म से हक अधिकार स्वत्व निहित है। इसलिए न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है कि उक्त भूमि में जो प्रार्थी के हिस्सा है उसको घोषित फरमा खातेदार काश्तकार के रूप में राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज करवाया जावें। वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्डनुसार दर्ज है जो प्रार्थी की मौरूसी भूमि है लेकिन उक्त कृषि भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज होने से वो विक्रय करने आमादा है जिसका उनको कोई हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:59:52 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त कृषि भूमि मौरूसी होने से प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 से 4 को भी बराबर–बराबर हक अधिकार स्वत्व हैं। विपक्षी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने का फायदा उठाने के लिए वो उक्त कृषि भूमि को विक्रय कर सकते है इसलिए न्यायहित में विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना आवश्यक है कि प्रार्थी को उक्त वर्णित भूमि के कब्जे उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे न अपने नौकर चाकर, एजेन्ट आदि से ही करावें।

5. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए तीनो ही विधिक बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है प्रार्थी की मौरूसी भूमि होने से प्रार्थी का प्राइमाफैसी केस है, एवं प्रार्थी के पक्ष में सुविधा संतुलन भी है एवं यदि विपक्षी संख्या 1 उक्त कृषि भूमि को किसी अजनबी क्रेता को विक्रय कर देता है तो प्रार्थी को जो अपूरणीय क्षति नुकसान होगा उसकी भरपाई मुद्रा में नहीं आंकी जा सकेगी। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण की पैतृक भूमि है जिस पर प्रार्थी एवं विपक्षीगण अपने अपने हक अधिकार से काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है और दिनांक 01.02.2022 को प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि हिस्सेनुसार नाम कराने को कहा तो विपक्षी संख्या 1 इंकार हो गया जिससे प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न हुआ एवं निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर के विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह ताफैसला वाद, प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी की मौरूसी कृषि भूमि को विपक्षी संख्या 1 रहन, बैह, बक्षीस या किसी तरह से हस्तान्तरित नहीं करें। प्रार्थी को बेदखल नहीं करे एवं प्रार्थी के उपयोग उपभोग कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे और न ही ऐसा कार्य अपने नौकर चाकर या एजेन्ट से ही करावें।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

7. प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार हैः–

1. *<u>प्रथम दृष्टया मामला–</u>* प्रकरण के अवलोकन से विवादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी उक्त भूमि के वर्तमान में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:59:52 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थी का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि मौरूसी सम्पति है मौरूसी सम्पति में मेरा भी हक हिस्सा निहित है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 भेरा के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी का पिता हैं। प्रार्थी द्वारा अपने पिता के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से अपने हिस्से की घोषणा चाही हैं। ऐसी स्थिति में खातेदार के विरूद्ध टी.आई नही दी जा सकती है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार काश्तकार नहीं होकर विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता हैं।
3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार खातेदार के रूप में दर्ज हैं। प्रार्थी खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाना चाहता है। खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उसके हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।
9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा खाम की मादडी तहसील मावली हाल घासा के आराजी नम्बर 1340, 1357, 1382, 1391, 1392, 1393, 1449, 1477, 1546, 2224/1356, 2273/1432, 2370/1574 किता 12 कुल रकबा 1.2140 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1470, 1496, 1523, 1524, 1526, 1527, 1529, 1532, 1535, 1536, 1559 किता 12 कुल रकबा 1.6350 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा अपनी पैतृक सम्पति में हिस्से की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी वर्तमान में वादग्रस्त भूमि का खातेदार नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पिता के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के विपक्षी सं. 1 HUF कर्ता खानदान होने से अपने नाम दर्ज भूमि का परिवार की जायज जरूरतों के लिए उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। ऐसी स्थिति में यदि खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो उसके हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:59:52 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। यदि प्रकरण में खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी।

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्व साबित हुए हैं। अतः पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को हटाया जाना न्यायहित में उचित है। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:59:52 IST
Reason: SelfAttested